पुलिस आदेश संख्या २४६/९४

विषय--जिला आरक्षी अधीक्षकों द्वारा देय मासिक अपराध समीक्षा का प्रपत्र ।

राज्य पुलिस मुख्यालय एवं राज्य के सभी जिलों में अपराध अभिलेखों तथा आंकड़ों का कम्प्युटरीकरण एन० सी० आर० बी० द्वारा विकसित किये गये प्रपत्रों के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है एवं शीघ्र ही सभी जिला आरक्षी अधीक्षकों के कार्यालयों में कम्प्यूटरों की आपूर्ति भी प्रस्तावित है । इस बिंदु पर पुलिस मुख्यालय में कार्य शुरू भी कर दिया गया है । अतः जिला आरक्षी अधीक्षकों द्वारा समर्पित की जा रही मासिक अपराध समीक्षा के प्रपत्र में अविलम्ब संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है ।

उपरोक्त बिंदुओं के आलोक में पुलिस आदेश संख्या १७४ को संशोधित करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की तिथि से जिला आरक्षी अधीक्षकों द्वारा मासिक अपराध समीक्षा निम्नांकित खंडों में समर्पित की जाय—

खंड "क"—जिले में आलोच्य माह में प्रतिवेदित सभी कांडों की अपराधवार विवरणात्मक समीक्षा जैसा कि वर्त्तमान में सभी जिलों द्वारा किया जा रहा है ।

खंड "ख"—राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपराध आंकड़े । यह प्रपत्र अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक १९, दिनांक ६-१-९४ द्वारा सभी आरक्षी अधीक्षकों को भेजा जा चुका है ।

खंड "ग"—आलोच्य माह के प्रारम्भ में लंबित विशेष प्रतिवेदित एवं अविशेष प्रतिवेदित कांडों की संख्या, आलोच्य माह में प्रतिवेदित वि० प्र० एव अ० वि० प्र० कांडों की संख्या, आलोच्य माह में निष्पादित वि० प्र० एवं अ० वि० प्र० कांडों की संख्या तथा आलोच्य माह के अन्त में लंबित वि० प्र० एवं अ० वि० प्र० कांडों की संख्या ।

खंड "घ"—आलोच्य माह के प्रशंसनीय कार्य एवं उपलब्धियां ।

उपरोक्त खंड—"ख" में जिस प्रपत्र में आंकड़े समर्पित किये जाने हैं उस प्रपत्र के कॉलम ४ एवं ५ को सभी आरक्षी अधीक्षक कृपया ध्यान से देखें । आलोच्य माह में जिले में जितने भी कांड निष्पादित किये गये हैं, उनकी कुल संख्या उपरोक्त प्रपत्र के कॉलम ४ एवं ५ के योग से बिलकुल मेल खानी चाहिए । ये आंकड़े सही रूप से तभी भरे जा सकेंगे जब सभी प्रतिवेदित एवं निष्पादित कांडों का वर्गीकरण थाना-स्तर पर सही ढंग से किया जायेगा ।

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सभी आरक्षी अधीक्षक सुनिश्चित करें कि खंड "ख" में उल्लिखित प्रपत्र में सभी थानों में एक स्थाई पंजी संधारित की जाय जिसमें प्रत्येक कांड के प्रतिवेदित या निष्पादित होते ही प्रपत्र के सम्बन्धित कॉलम में प्रविष्टी की जाय । सभी थाना प्रभारी/आरक्षी निरीक्षक/आरक्षी उपाधीक्षक को निर्देश दिये जायें कि वे उपरोक्त प्रपत्र में ही मासिक अपराध गोष्ठी में आकड़े समर्पित करें । थाना-स्तर पर तैयार किये गये आंकड़ों की शुद्धता की जिम्मेदारी स्वयं थाना प्रभारी की तथा जिला-स्तर पर तैयार किये गये आंकड़ों की शुद्धता की जिम्मेदारी स्वयं आरक्षी अधीक्षक की होगी ।

उपरोक्त प्रपत्र की प्रतियाँ चक्रचालित कर समुचित मात्रा में सभी थाना प्रभारी/आरक्षी निरीक्षक/आरक्षी उपाधीक्षक को जिला आरक्षी अधीक्षक द्वारा अविलम्ब भेज दी जाय।

विजय जैन

(विजय जैन)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – ३३२९/एल-१
४३-२८-१६-९४

दिनांक ३ अगस्त, १९९४

प्रतिलिपि—१. आरक्षी महानिरीक्षक, वि० शाखा एवं अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

२. सभी प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक/क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक/जिला आरक्षी अधीक्षक (रेलवे सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

विजय जैन

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।